...द अहकाम

रामकिशोर वगै० बनाम राजस्थान सरकार वगै०

...न्यायालय

...संख्या

02/2022   प्रा.पत्र 136 LRA Act

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/2/22	अधिवक्ता राकेश कुमार पारीक ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA Act का पेश किया। [illegible] रिपोर्ट हल्का [illegible] हो। अप्रार्थीगण उपरजिस्ट्रार को अप्रार्थीगण की तामील एवं प्रकरण के संबंध के रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट की [illegible] की [illegible] तहसीलदार [illegible] की [illegible] दिनांक [illegible] पत्रावली 10/3/22 को पेश हो। ह० [illegible]	
	10/3/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक... 4/4/22 को पेश हो	
	4/4/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक...... 1/5/22 को पेश हो	
	1/5/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक..... 25/5/22 को पेश हो	
	25/5/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश ... 9/6/22 ...	
	09/6/22	व. प्रार्थीगण उप० / तहसीलदार तहसील [illegible] से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:05 IST
Reason: SelfAttested

करना आवश्यक हुआ है।

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

ु.न. 02/2022

उनवान

1. रामकिशोर पुत्र ताराचन्द उर्फ तारीया
2. मोतीलाल पुत्र ताराचन्द उर्फ तारीया
3. राजेश पुत्र ताराचन्द उर्फ तारीया
4. पूरणमल पुत्र ताराचन्द उर्फ तारीया
5. चन्दा देवी पुत्री ताराचन्द उर्फ तारीया
6. गुलाब देवी पुत्री ताराचन्द उर्फ तारीया
7. विमला देवी पुत्री ताराचन्द उर्फ तारीया
8. माया देवी पुत्री ताराचन्द उर्फ तारीया
9. लक्ष्मी देवी पत्नी ताराचन्द उर्फ तारीया

समस्त जाति रैगर निवासीयान् ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 09.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 782/2 रकबा 1 बिघा, खसरा नम्बर 784/1 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 784/2 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 844 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 845 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 846 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 6 का कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील तत्कालीक आमेर, हाल तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित हैं, जिसके नये खसरा नम्बर 1584 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2702 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2703 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2704 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.60 हैंक्टेयर बने हैं।

उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी बेणा व तारीया पुत्रान् काना के नाम से थी। प्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 ताराचन्द उर्फ तारीया का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था, जमाबन्दी में उनका नाम तारीया पुत्र काना के नाम से दर्ज था, जिसको बाद में राजस्व कर्मियों ने लिपिकीय त्रुटिवश तारीया के स्थान पर नारीया दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण की भूमि के संबंध में अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया।

राजस्व कर्मियों ने सावधानी पूर्वक रिकार्ड तैयार नही किया सम्वत 2033 से 2036 की जमाबन्दी बनाते समय राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम तारीया के स्थान पर नारीया दर्ज कर दिया, जबकि उनकी जिम्मेवारी सावधानी पूर्वक राजस्व रिकार्ड तैयार करने की थी।

प्रार्थीगण के पिता/पति के आधार कार्ड, वोटर कार्ड में नाम ताराचन्द पुत्र कानाराम दर्ज हैं तथा ताराचन्द उर्फ तारीया की मृत्यु [illegible] चुकी हैं तथा ग्राम कालाडेरा में नारीया पुत्र काना के नाम का कोई व्यक्ति मौजूद [illegible] प्रार्थीगण की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में पिता/पति के नाम में गलती [illegible] नही खुल पा रहा हैं।

अभी हाल प्रशासन गांवो के संग [illegible] से उक्त दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था परन्तु अप्रार्थी द्वारा [illegible] के यहां चारा जोही करने हेतु कहां गया, जिस पर कोई कार्यवाही नही की गई। इस का[illegible] प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तत करना आवश्यक हुआ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम में दुरुस्ती की जाकर नारीया पुत्र काना के स्थान पर ताराचन्द पुत्र काना दर्ज करने के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस प्रार्थी के अधिवक्ता की सुनी गई। प्रा0 पत्र के संबंध में तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम कालाडेरा के खाता संख्या 235 स्थित किता 5 रकबा 1.60 है0 में दर्ज सह खातेदार नारिया पुत्र काना हिस्सा 1/4 जाति रैगर का वास्तविक नाम ताराचन्द पुत्र कानाराम जाति रैगर है अर्थात् नारिया पुत्र काना रैगर व ताराचन्द पुत्र कानाराम जाति रैगर एक ही व्यक्ति है। अतः नारिया पुत्र काना के स्थान पर ताराचन्द पुत्र कानाराम शुद्ध किए जाने की अभिशंषा की गई है।

प्रा0 पत्र, दस्तावेज रिपोर्ट तहसीलदार चौमू व बहस का बगोर अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं तथा हाल खाता संख्या 235 के खसरा नम्बर 1584 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2702 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2703 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2704 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.60 हैंक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम नारीया पुत्र काना के स्थान पर ताराचन्द पुत्र कानाराम नाम की दुरूस्ती की जाकर जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:16:05 IST
Reason: SelfAttested